कार्यालय परिसम्पत्ति अधिकारी
गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

पत्रॉकः इस्टेट/1086 दिनॉक 22/1/2019

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय प्रबंध समिति की सम्पन्न बैठक दिनॉक 04.01.2019 को **आईटम संः 02** Reorgnization of Administration के अर्न्तगत छात्रावास अभिरक्षक एवं सहायक छात्रावास अभिरक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य नये नियमों के संबंध में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयानुसार कुलपति जी द्वारा निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गई है :–

1. किसी भी शिक्षक को यदि किसी भी छात्रावास में अभिरक्षक की जिम्मेदारी दी जाती है, तो पूर्व में आवंटित आवास को रिक्त करने की आवश्कता नही होगी।
2. यदि सबंधित छात्रावास में अभिरक्षक आवास हो तो उसे अभिरक्षक के कार्यालय/निवास के रुप में प्रयोग किया जायेगा। ऐसे प्राध्यापक को सपरिवार शिफ्ट करने की बाध्यता नही होगी।
3. आवास किराया, बिजली व जल शुल्क का भुगतान मूल आवास का नियमानुसार लिया जायेगा। छात्रावास के आवास का बिजली व जल शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।
4. किसी भी छात्रावास का अभिरक्षरक बनाये जाने पर आवास आवंटन में किसी प्रकार की वरीयता नही दी जायेगी। समस्त आवासों का आवंटन केवल उनकी वरिष्ठता सूची के अनुसार किया जायेगा।
5. अभिरक्षक/सहायक अभिरक्षक के पद पर सहा0प्राध्यापक/सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक को वरिष्ठता के अनुसार/सहमति के अनुसार नियुक्त किया जायेगा। अन्यथा की दशा में कुलपति महोदय द्वारा नामित किया जायेगा।
6. भविष्य में किसी भी सहा0 प्राध्यापक,सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक को अभिरक्षक/सहायक अभिरक्षक के कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन की दशा में आवास आवंटन हेतु कोई वरीयता नहीं दी जायेगी।
7. पूर्व का कोई भी प्रकरण यदि लम्बित होगा तो उस पर कुलपति महोदय द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जायेगा।

22.1.2019
(एच.एल.मन्डोरिया)
परिसम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उप निदेशक, (विद्युत)।
2. उप निदेशक, (जल खण्ड)।
3. समस्त सहायक छात्रावास अभिरक्षक/अभिरक्षक छात्रावास को सूचनार्थ।
4. मुख्य छात्रावास अभिरक्षक।
5. नियंत्रक।
6. मुख्य कर्मिक अधिकारी।
7. निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण।
8. अध्यक्ष आवास आवंटन समिति।
9. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
10. अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर महाविद्यालय
11. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष
12. अवर अभियन्ता/फोरमैन, परिसम्पत्ति कार्यालय।
13. लेखाकार, राजस्व, परिसम्पत्ति कार्यालय।
14. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।